CNR No.-UPGK010053132026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–2320/2026

गुड्डू उर्फ शमशाद उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र हमीद निवासी ग्राम बंजरिया परसा थाना–बखिरा, जिला–सन्त कबीरनगर।

––––––आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––––अभियोजन

अपराध संख्या–417/2025,
धारा– 305, 331(4), 111(4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना– गोला, जनपद गोरखपुर।

दिनांकः–30–06–2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद की ओर से मु०अ०सं०–417/2025, धारा–305, 331(4), 111(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना गोला, जनपद गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है तथा शपथकर्ता इलाइची देवी द्वारा शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के घर के उत्तर पश्चिम कोण पर स्थित कमरे के पश्चिम दीवाल में स्थित जंगला तोड़कर अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया है, जिसमें सोने के दो लाकेट चेन सहित, चाँदी के गिलास, कटोरी, चम्मच व कड़ा तथा वस्त्र उक्त लोगों ने चुराया है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण बिल्कुल निर्दोष हैं, कोई अपराध कारित नहीं किए हैं। कथित घटना तथ्यों के बिल्कुल विपरीत अंकित कराई गयी है। कथित घटना में प्रार्थीगण की लशमात्र संलिप्तता नहीं है। घटना में प्रार्थीगण नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराई गयी है। प्रार्थीगण के पास से कोई भी बरामदगी नहीं है। पुलिस ने फर्जी तौर से हम लोगों के पास से फर्जी बरामदगी दिखाकर जेल भेज दिया है। पुलिस द्वारा उक्त मुकदमें में किसी प्रकार का कोई इलैक्ट्रानिक साक्ष्य अथवा सी०सी०टी०वी० फुटेज भी उपलब्ध नहीं है कि जिससे प्रार्थीगण की संलिप्तता उक्त मामले में सिद्ध होती है। प्रार्थी दिनांक 04–04–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो दाखिल है, लंबित है और न ही निस्तारित है। इन समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रा0पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण द्वारा

सहअभियुक्त के साथ मिलकर प्रथम सूचनाकर्ता के घर में घुसकर सोने व चाँदी के जेवरात को चुराने का कथन है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उनके द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता,दाण्डिक के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

उभयपक्षों के प्रतिस्पर्धी तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यह सुस्थापित विधि है कि जमानत प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण के समय गुण–दोष पर विस्तृत विवेचन अपेक्षित नहीं है। निस्तारण के समय सुसंगत तथ्य यथा अभ्यारोपण की प्रकृति, दण्ड की गम्भीरता, साक्षियों को प्रभावित करने/साक्ष्य से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त सम्भावना, अभियोजन मामले की असारता, अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं न्यायालय का अभ्यारोपण के समर्थन में प्रथम दृष्टया समाधान मात्र देखा जाना पर्याप्त होता है। तद्नुसार प्रत्येक अभियोग की विशेष तथ्यात्मक परिस्थितियों के दृष्टिगत आदेश पारित किया जाना चाहिये।

हस्तगत अभियोग में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता के घर में घुसकर सोने व चाँदी के जेवरात चुराने का अभियोग पंजीकृत है। आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। दौरान विवेचना अभियुक्त/आवेदक का नाम प्रकाश में आना बताया गया है। अभियोजन की तरफ से आवेदक/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उन्हें अन्य मामलों में वांछित होना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक/अभियुक्त का नाम उल्लेखित नहीं है। जहाँ तक आवेदक/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि का प्रश्न है, इस संदर्भ में विधि व्यवस्था **2020(1) क्राइम्स 153 (एस सी) प्रभाकर तिवारी बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य के प्रस्तर संख्या 07** में विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त जमानत पाने का पात्र है तो उसकी जमानत इस आधार पर निरस्त नहीं की जानी चाहिए कि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है।

अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य,परिस्थितियों,अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त गुड्डू उर्फ शमशाद द्वारा मु0–50,000/– का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित,सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर,उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

(सिद्धार्थ सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–02
विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट), गोरखपुर।
I.D.No. : UP6318

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.06.30 15:55:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court